न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.47 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 172)	07.10.2024	15.07.2025

1. अजय आ. स्व. राजाराम जाति मीना,
   निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
2. राममूर्ति पत्नी स्व. राजाराम जाति मीना,
   निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

-- अपीलान्टस

बनाम

1. इन्दिरा पुत्री अमरा पत्नी दुर्गालाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम मुंडघसा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. कमलेशबाई पुत्री अमरा पत्नी गिरिराज जाति मीना,
   निवासी ग्राम गोठडा, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
3. राजकरन्ता पुत्री अमरा पत्नी मदनलाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम जरखोदा, तहसील एवं जिला बून्दी।
4. रामकंवरी बेवा कजोड़ जाति मीना,
   निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
5. देवेन्द्र कुमार आ. कजोड़ जाति मीना,
   निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
6. कृष्णा पुत्री कजोड़ पत्नी मोहन जाति मीना,
   निवासी ग्राम छरकवाड़ा, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
7. सरोज पुत्री कजोड़ पत्नी कन्हैयालाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम सेलादांता, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
8. मन्जू पुत्री कजोड़ पत्नी रतिराम जाति मीना,
   निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
9. सन्जू पुत्री कजोड़ पत्नी शोजीलाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम छावनियां, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
10. निशा पुत्री राजाराम जाति मीना,
   निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
11. प्रकाश देवी पत्नी लटूरलाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम खटियाड़ी, तहसील रायथल, जिला बून्दी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

12.प्रभू पुत्र उदा जाति मीना,
निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
13.बृजमोहन पुत्र उदा जाति मीना,
निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
14.बिरधीबाई पत्नी अमरा जाति मीना,
निवासी ग्राम औंकारपुरा, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
15.लटूरलाल आ.देवीराम जाति मीना,
निवासी ग्राम खटियाडी, तहसील रायथल, जिला बून्दी।
16.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)
17.उप पंजीयक, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3,14 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5 की ओर से श्री श्री राजकुमार गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 6 लगायत 13, 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 16, 17 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 661 दिनांक 11.06.2019 ग्राम औंकारपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण ग्राम ओंकारपुरा में विस्थित आराजी के सहखातेदार अमरा वल्द लक्ष्मीनारायण कौम मीना के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 47/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/172 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 एवं 14 की ओर से दिनांक 18.03.25 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खाता संख्या नया 5, पुराना 4 की भूमि खसरा सं. 318 रकबा 0.0923 है0, ख.सं. 34 रकबा 0.5383 है0, ख.सं. 49 रकबा 0.3461 है0, ख.सं.50 रकबा 0.4537 है0, ख.सं. 51 रकबा 0.0385 है0, ख.सं. 52 रकबा 1.6149 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.0838 हैक्टेयर वाकेग्राम औंकारपुरा तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट सं.1 के दादा एवं अपीलांट सं.2 के ससुर अमरा आ. लक्ष्मीनारायण जाति मीना का सहखातेदार के रूप में 1/4 हिस्सा निहित था। सहखातेदार अमरा जी का स्वर्गवास दिनांक 31.12.2018 को हो चुका है। अमरा जी के एक पुत्र राजाराम एवं तीन पुत्रियां इन्दिरा बाई, कमलेश बाई एवं राजकरन्ताबाई हुई, जो रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 है। अमराजी के पुत्र राजाराम का भी देहान्त दिनांक 18.06.2024 को हो चुका है, जिसके एक पुत्र अपीलांट सं. 1 एवं अपीलांट सं. 2 पत्नी है। मूल पुरूष खातेदार अमरा जी के देहान्त के बाद जब दिनांक 11.06.2019 को फोती नामान्तरकरण सं. 661 खोला गया, उस समय मृतक खातेदार अमरा जी के जीवित पुत्र राजाराम के होते हुये भी तीनों पुत्रियों रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 के नाम भी दर्ज कर लिया गया है, जो विधि अनुकूल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान पर गौर नहीं किया कि मीना जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है, ऐसी स्थिति मे मीना जनजाति में पुरूष सन्तान के होने पर पुत्रियों का पैतृक सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार निहित नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति द्वारा शासित व्यक्तियों पर लागू नहीं होने के तथ्य ही अनदेखी करते हुए उक्त नामान्तरकरण खोला गया जो विधिअनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व पक्षकारान को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.09.2024 को पटवारी हल्का से होने पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया, नकल दिनांक 28.09.2024 को प्राप्त होते ही अपील मध्य अवधि पेश की गई है। फिर भी यदि किसी कारणवश देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन किये जाने एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा RRD 1992 पेज 17, 117, 173, RRD 1998 पेज 319, 391, RRD 2009 पेज 195, RRD 2005 पेज 127 एवं RRD 2014 पेज 213 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण में से पुत्रियों का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 एवं 14 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि स्वर्गीय अमरा के पुत्र (अपीलांट के पिता) राजाराम एवं पुत्रियों रेस्पो.सं.1, 2, 3 तथा अमरा की पत्नी रेस्पो.सं.14 के मध्य विरासत के नामान्तरकरण बाबत मौखिक सहमति थी। खातेदार अमरा के देहान्त के बाद अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण दिनाक 11.06.2019 को मौखिक पारिवारिक समझौते के तहत दर्ज किया गया। जिसमें अपीलांट के पिता एवं पति स्वर्गीय राजाराम का नाम दर्ज किया, जिसकी सहखातेदार राजाराम को नामान्तरकरण की तिथि से ही जानकारी थी। राजाराम की सहमति होने से उसने अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरकरण के प्रति कोई आपत्ति प्रकट नहीं की तथा मौके पर हिस्सेनुसार सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते रहे है। अपीलांटस को भी उक्त अपील विषयक नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही थी। अपीलांट अजय के पिता एवं राममूर्ति के पति राजाराम का दिनांक 18.06.2024 को देहान्त हो जाने से अपीलांटस द्वारा नाजायज रूप से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो अत्यधिक देरी से प्रस्तुत होने के कारण खारिज होने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि इस मामले में जो नामान्तकरण खोला गया है वह विरासत के आधार पर मृतक खातेदार अमरा के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में आपसी सहमति से तस्दीक किया गया है, जो कानून सम्मत है। रेस्पो. सं.14 बिरधीबाई का जीवनयापन का अधिकार निहित है। अपीलांट द्वारा मृतक खातेदार अमरा के विरासत नामान्तरकरण को तो चुनौती दी गई है किन्तु राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रियों का भी नामान्तरकरण खुल गया है, जिसे अपीलांटस ने चुनौती नहीं दी गई है, ऐसे में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 एवं 14 ने अपने कथन के समर्थन में 2021(2) RRT पेज 1250, 2021(2) RRT पेज 851, 2012 RRD पेज 577, 2007 RRD पेज 311, 2013 RRD पेज 189 एवं 2014 DNJ (SC) पेज 310 की नजीरें पेश करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की दिनांक 19.09.24 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 01.10.24 को अपील पेश किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र में अंकित है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम औंकारपुरा की आराजी किता–6 कुल रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा भूमि का खातेदार अमरा वल्द लक्ष्मीनारायण कौम मीना हिस्सा1/4 था। खातेदार अमरा का विरासत का नामान्तरकरण राजाराम आ. अमरा, इन्दिराबाई, राजकरन्ताबाई, कमलेशबाई पुत्रिया अमरा एवं बिरधीबाई पत्नी अमरा कौम मीना के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि खातेदार मीना जाति का होने से उसके विरासत नामान्तरकरण में पुत्रियों का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किया जाकर अमरा के एकमात्र पुत्र स्वर्गीय राजाराम के विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से विदित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित कर दिया हो। केन्द्र सरकार द्वारा आदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से अनुसूचित जन जाति में प्रचलित परिपाटी, रीतिरिवाज तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर विरासत को तय किया जाना है। उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुरूष उत्तराधिकारी के मौजूद होने की दशा में महिलाओं को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार अमरा का विरासत का तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 661 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर पत्रावली अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी